जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति — दिनांक 25.04.2021

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम इस्लामपुर घसौली में प्रधान पद प्रत्याशी का पुत्र अपनी माता के समर्थन में वोट करने के लिए वितरित कर रहा 23 पेटी अवैध देशी/अंग्रेजी शराब सहित गिरफ्तार

जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके अनुसार कोई भी चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने वाला प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकता है। दिनांक 24.04.2021 को थाना कांधला क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रधान पद प्रत्याशी द्वारा शराब वितरित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई जिसके क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा गांव इस्लामपुर घसौली में तत्काल पहुंचकर प्रधान पद प्रत्याशी श्रीमती मीना का पुत्र इन्तजार पुत्र तमसू व उनके समर्थकों द्वारा उसके समर्थन में वोट करने हेतु वोटरों को घर बुलाकर एवं वोटरों के घर जाकर शराब वितरित किये जाते हुए पाया गया। थाना कांधला पुलिस द्वारा छापेमारी में प्रत्याशी के पुत्र इन्तजार को 23 पेटी अवैध देशी/अंग्रेजी विभिन्न मार्का शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इन्तजार पुत्र तमसू निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल 23 पेटी अवैध देशी/अंग्रेजी शराब विभिन्न मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
2. हे0का0 अजीत कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
3. का0 ललित शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।